भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4944** जिसका उत्तर

गुरूवार, **25 मार्च**, 2021/4 चैत्र, 1943 (शक) को दिया जाना है

अंतर-राज्यीय जल-मार्ग

†4944. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर-राज्यीय जलमार्गों के संबंध में कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गंगा/यमुना और उनकी सहायक नदियों में नदी मार्ग के विकास हेतु घरेलू और विदेशी निवेश आमंत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016, जो 12 अप्रैल, 2016 को प्रभावी हुआ, के तहत 24 राज्यों में फैले 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्गों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने यह निष्कर्ष दिया कि 23 रा.ज. कार्गो आवागमन और नदी जलमार्ग पर्यटन उद्देश्य के लिए व्यवहार्य पाए गए हैं। कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य पाए गए 23 रा.ज. की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है। इनमें से 13 रा.ज. में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग नामत: रा.ज-1, रा.ज-4, रा.ज-5, रा.ज-73, रा.ज-100 एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरते हैं।

(ग) और (घ): विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) पर गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर बड़े बार्जो की आवाजाही के लिए नौचालन की क्षमता संवर्धन हेतु 5369.18 करोड़ रु. की अनुमानित लागत (संशोधित लागत 4633.81 करोड़) पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) शुरू की गई है। दिनांक 28.2.2021 की स्थिति के अनुसार जेएमवीपी का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

अनुबंध-1

कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य पाए गए 23 राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.	लंबाई (किमी)	जलमार्गों का ब्यौरा	राज्य	स्थिति
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	1620	गंगा -भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक **जलमार्ग विकास परियोजना** की सहायता से विकासात्मक कार्य किए गए
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	891	ब्रह्मपुत्र नदी (धुब्री-सादिया)	असम	वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए स्वीकृत किए गए एसएफसी के अनुसार किए गए विकास कार्य
3.	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	121	बराक नदी	असम	
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	205	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	केरल	अधिकांशत: प्रचालनात्मक जलमार्गों तथा विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्य किए गए।
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	82	कृष्णा नदी (विजवाड़ा-मुक्तयला)	आंध्र प्रदेश	
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	233	मंगलागढ़ी से पानकोपल से होते हुए धमरा-पराडियो	ओडिशा	
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	29	अलाप्पुझा -चंगनसरी नहर	केरल	
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	40	अलाप्पुझा -कोट्टायम - अथिरमपुजा नहर	केरल वैकल्पिक मार्ग: 11.5 कि.मी.	
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	17	कंबरजुआ नदी	गोवा	
10.	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	41	माण्डवी नदी	गोवा	
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	72	रूपन्नारायण नदी	पश्चिम बंगाल	
12.	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	172	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल	
13.	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	50	ज़ुआरी नदी	गोवा	
14.	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	45	अंबा नदी	महाराष्ट्र	एसएफसी/ईएफसी की स्वीकृति के पश्चात् कार्य किया जाएगा।
15.	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	63	इच्छामती नदी	पश्चिम बंगाल	
16.	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	53	काली नदी	कर्नाटक	
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	50	कोपिली नदी	असम	
18.	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	226	नर्मदा नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड के तहत अधिकतर मात्रा में कार्गो का आवागमन ज्वारीय जल/नदी के मुहाने में होता है। अभी तक आईडब्ल्यूएआई द्वारा किंही भी मध्यवर्ती कार्यो पर विचार नहीं किया गया है।
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग 83	31	राजपुरी क्रीक	महाराष्ट्र	
20.	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	31	रेवदंडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र	
21.	राष्ट्रीय जलमार्ग 91	52	शास्त्री नदी -जयगढ़ क्रीक प्रणाली	महाराष्ट्र	
22.	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	141	सोन नदी	बिहार	
23.	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	436	तापी नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	

अनुबंध-2

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की मुख्य परियोजनाएं-जलमार्ग विकास परियोजना (रा.ज.-1) परियोजना

दिनांक 28.02.2021 के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति

1. राष्ट्रीय जलमार्ग (राज.-1) पर हल्दिया से वाराणसी (1390 किलोमीटर) जलखंड पर 5369.18 करोड़ रु. की लागत पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) को आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा 3 जनवरी, 2018 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। विश्व बैंक के साथ ऋण संबंधी करार दिनांक 2 फरवरी, 2018 को निष्पादित किया गया।

2. जेएमवीपी की अनुमानित लागत 5369.18 करोड़ रु. (800.00 मिलियन अमरीकी डॉलर) को निम्नलिखित निधि आवंटन पद्धति के अनुसार उपयोग किया जाएगा :-

i. आईबीआरडी ऋण-2,512.00 करोड़ रु. (375.00 मिलियन अमरीकी डॉलर)

ii. भारत सरकार की काउंटर पार्ट निधि (बजटीय आबंटन और 2,556.00 करोड़ रु. के अवसंरचना बांड जारी करने के माध्यम से प्राप्तियां (380.00 मिलियन अमरीकी डॉलर); और

iii. पीपीपी मोड के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी-301.00 करोड़ (45.00 मिलियन अमरीकी डॉलर)

3. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर विकास संबंधी कार्यनीति तय करने के लिए फरवरी, 2017, दिसंबर, 2016 और नवंबर, 2017 में विस्तृत व्यवहार्यता, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, और बाजार विकास कार्यनीति संबंधी अध्ययन किए गए। इसके अतिरिक्त, बाद में इंजीनियरिंग परामर्शदाता द्वारा वाराणसी एमएमटी, हल्दिया एमएमटी, साहिबगंज एमएमटी तथा फरक्का लॉक जैसी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग तैयार की गई।

4. जेएमवीपी के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित अनिवार्य अनुमतियां/निकासी प्राप्त की गई:-

i. काशी कछुआ अभ्यारण्य, वाराणसी के बीच से जलयानों के गुजरने के संबंध में दिनांक 12 जून, 2017 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति

ii. हल्दिया मल्टीमाडल टर्मिनल के लिए 06 नवंबर, 2017 को तटीय विनिमय जोन अनुमति।

iii. फरक्का पर नए नौचालन लॉक के संबंध में 28 फरवरी, 2016 को डब्ल्यू आर आरडी एंड जी आर मंत्रालय तथा एन जी आर बी ए से अनुमति।

iv. पर्यावरण, वन्य तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि अंतर्देशीय जलमार्ग, टर्मिनल, जेट्टियां आदि दिनांक 21 दिसंबर, 2017 की पूर्व पर्यावरणीय संबंधी अनापत्ति की अपेक्षा रखने वाली ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत कवर नहीं होती।

5. सचिव (पोत परिवहन) की अध्यक्षता में आईडब्ल्यूएआई के साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.06.2020 को आयोजित टेली कान्फ्रेंस के माध्यम से की गई पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप जेएमवीपी की अनुमानित लागत, सीसीईए द्वारा 03.01.2018 को अनुमोदित 5,369.18 करोड़ रु. की मूल अनुमानित लागत से संशोधित करके 4633.81 करोड़ रु. की गई और इस तरह इस परियोजना की लागत में 735.51 करोड़ रु. (109.78 मिलियन यूएस डॉलर) की बचत हुई। इस बचत में 387.10 करोड़ रु. (57.78 मिलियन यूएस डालर) आईबीआरडी ऋण घटक का हिस्सा था और 348.41 करोड़ रु. काउंटरपार्ट निधि संघटक का हिस्सा थ। संशोधित लागत अनुमान में अनुमानत: 746.00 करोड़ रु. की राशि अर्थ गंगा अवधारणा के सामंजस्य में की जाने वाली अनेक गतिविधियों के लिए भी शामिल हैं। परिणामत: आईडब्ल्यूएआई, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, के अनुरोध पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने दिनांक 17.6.2020 को जेएमवीपी के लिए आईबीआरडी के समग्र ऋण में से 57.78 मिलियन राशि रदद करने का विश्व बैंक से अनुरोध किया। परिणामस्वरूप, आईबीआरडी ऋण-संघटक घटकर 317.22 मिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा।

6. परियोजना के कार्यान्वयन में निर्धारित समय सूची के अनुसार प्रगति हो रही है। परियोजना में जेएमवीपी की संशोधित लागत के लगभग 39.15% की समग्र वित्तीय प्रगति हुई है और भैतिक प्रगति 40.85% है। निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

- वाराणसी और साहिबगंज पर मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और हल्दिया पर मल्टीमॉडल टर्मिनल तथा फरक्का पर नौचालन लॉक के निर्माण कार्य में भी क्रमश: 96.85% और 80.37% वास्तविक प्रगति हुई है।
- फरक्का-कहलगांव, सुल्तानगंज-महेन्द्रपुर और महेन्द्रपुर-बार्ह के बीच जलखंड पर 3 मीटर की न्यूनतम सुनिश्चित गहराई और 45 मीटर चौड़ा बॉटम चैनल प्रदान करने के लिए क्रमश: दिनांक 9 अप्रैल, 2018 और 12 अप्रैल, 2019 और 12 अप्रैल, 2019 को संविदाएं सौंपी गईं तथा इस समय क्रमश: 82.92 करोड़ रु., 28.83 करोड़ रु., और 30.19 करोड़ रु. की वित्तीय प्रगति के साथ प्रगति कर रही है।
- एनटीसीपीडब्ल्यूसी, आईआईटी मद्रास सहित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से ड्रेजिंग प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार की गई है तथा आईडब्ल्यूएआई बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है।
- परियोजना के शेष सिविल निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ की गई है।

*****